राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप–3) विभाग

क्रमांक–प. 5(31) साप्र/3/82 जयपुर, दिनांक – 5 SEP 2013

–:आज्ञा:–

विषय:– राजकीय अधिकारीगण के निवासीय टेलीफोन (बेसिक + मोबाइल + इन्टरनेट + ब्राडबैण्ड) पर एक मुश्त मासिक वित्तीय सीमा तक व्यय के निर्धारण बाबत।

राजकीय अधिकारीगण के निवास पर राजकीय टेलीफोन/मोबाइल सुविधा/ इन्टरनेट/ ब्राडबैण्ड उपलब्ध कराने बाबत इस विभाग द्वारा पूर्व में जारी समसंख्यक आज्ञा दिनांक 14.08.13 में निर्धारित शर्तों में निम्नानुसार शर्त सं. 18, 19 व 20 और जोडी जाती हैं।

18. यह सुविधा केवल पोस्टपेड सिम/डाटा कार्ड पर देय होगी और इस सिम पर Voice Call Facility उपलब्ध नहीं होगी। किसी भी प्रकार से की गई Voice Call का पुनर्भरण राज्य सरकार द्वारा नहीं किया जायेगा।
19. संबंधित अधिकारी का यह उत्तरदायित्व होगा कि वे उनके पास स्थित राजकीय एवं निजी लैपटॉप पर ही इस सुविधा का उपयोग सुनिश्चित करेंगे। इस सुविधा के दुरूपयोग के लिए संबंधित अधिकारी स्वयं उत्तरदायी होंगे।
20. अतिरिक्त सिम/डाटा कार्ड की उक्त सुविधा वर्तमान में अधिकारियों को निवास के लिये स्वीकृत टेलीफोन हेतु निर्धारित एकमुश्त मासिक वित्तीय सीमा के अंतर्गत ही देय होगी।

यह आज्ञा वित्त विभाग की आई.डी.सं0 131300388 दिनांक 14.08.13 द्वारा प्राप्त सहमति के अनुसरण में जारी की जाती है।

राज्यपाल की आज्ञा से

(राकेश श्रीवास्तव)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. प्रधान महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
2. अति. मुख्य सचिव, महामहिम राज्यपाल/
3. प्रमुख सचिव, मा. मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
4. समस्त अति. मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव/संयुक्त शासन सचिव।
5. समस्त विशिष्ट सहायक/निजी सचिव/अति. निजी सचिव, मंत्री/राज्यमंत्री/संसदीय सचिवगण।
6. उप सचिव, (निजी सचिव), मुख्य सचिव।
7. महानिदेशक, पुलिस राजस्थान, जयपुर।
8. समस्त संभागीय आयुक्त।
9. समस्त विभागाध्यक्ष (जिला कलक्टर सहित)
10. अध्यक्ष, राज. राज्य पिछडा वर्ग आयोग, जयपुर।

Room No. 1133, Main Building, Secretariat, Jaipur-302005,
Tel. No. (Jt. Secy)-0141-2227874/9414085447, (AS)9414043554 (SO)-2227776 (Fax)-5116626, 2227928
Website: www.gad.rajasthan.gov.in, Email-gadsec111@rediffmail.com

11. समस्त शासन उप सचिवगण/समकक्ष अधिकारीगण
12. वित्तीय सलाहकार, शासन सचिवालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि राजकीय अधिकारीगण के निवासीय टेलीफोन (बेसिक+मोबाइल+इण्टरनेट+ब्राडबैण्ड/आईपैड/डाटा कार्ड) के बिल भुगतान करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि बिल की राशि सम्बन्धित अधिकारी को देय मासिक/वार्षिक अनुज्ञेय सीमा में ही है। सम्बन्धित अधिकारियों से प्राप्त टेलीफोन/मोबाइल बिलों का भुगतान/पुर्नभरण बिल प्रस्तुत करने पर सीधे ही लेखाशाखा द्वारा किया जावेगा।
13. समस्त कोषाधिकारी को प्रेषित कर लेख है कि बिल पारित करने के सभी शर्तों की पालना सुनिश्चित कर ली जाये।
14. रक्षित पत्रावली।

(राजीव जैन)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को भी प्रेषित है :-

1. सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
2. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर।,
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
4. पंजीयक, राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर/जयपुर।
5. सचिव, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर।
6. सचिव, राजस्व मण्डल, राजस्थान, अजमेर।
7. सचिव कर बोर्ड, अजमेर।

संयुक्त शासन सचिव